ई-आफिस सं0- 1421808/2021
संख्या-3/2023/538-57-2023-10-G-2021-TC

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी/
आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक मार्च, 2023

विषय:- जनपद अयोध्या में जलकल अमानीगंज के सामने नगर निगम की भूमि पर पब्लिक एम्निटीज तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, **अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के** पत्र सं0-114/अयो0वि0प्रा0/2022-23, दिनांक 22.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में जलकल अमानीगंज के सामने नगर निगम की भूमि पर पब्लिक एम्निटीज तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य कराये जाने के संबंध में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग कर लिये जाने की दशा में चतुर्थ किस्त के रूप में धनराशि रू0 596.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या में जलकल अमानीगंज के सामने नगर निगम की भूमि पर पब्लिक एम्निटीज तथा जन सुविधाओं का विकास कार्य के संबंध में शासनादेश संख्या-942/57-2021-10(जी)/2021, दिनांक 08.11.2021 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 1728.86 लाख वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है। दिनांक 08.11.2021 को स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग कर लिये जाने की दशा में शासनादेश सं0- 925/57-2022-10(जी)/2021, दिनांक 30.08.2022 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1728.86 लाख की 25 प्रतिशत से कम धनराशि रू0 432.21 लाख की द्वितीय किस्त तथा शासनादेश सं0-481/57-2023-10-जी-2021-टीसी, दिनांक 21.03.2023 द्वारा तृतीय किस्त के रूप रू0 500.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1132.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में परियोजना की 5 प्रतिशत धनराशि कार्य की पूर्ण होने पर तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अत: उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के अनुरोध के क्रम में धनराशि रू0 510.21 (रूपये पॉच करोड दस लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 942/57-10(जी)/2021, दिनांक 08.11.2021, शासनादेश संख्या- 925/57-10(जी)/2021, दिनांक 30.08.2022 एवं शासनादेश सं0- 481/57-2023-10-जी-2021-टीसी, दिनांक 21.03.2023 द्वारा लगायी गयी शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

(2)- स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वारणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार वाराणसी से किया जायेगा तथा आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण को शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,10,21,000 (रुपये पांच करोड़ दस लाख इक्कीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 538-57-2023-10-G-2021-TC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।**
2- **प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।**
3- **आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।**
4- **जिलाधिकारी, अयोध्या/वाराणसी।**
5- **नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।**
6- **उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।**
7- **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।**
8- **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- **मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।**
10-**अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड**-4, **लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।**
11- **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग**-5 **उ0प्र0 शासन।**
12-**गार्ड फाईल।**

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।